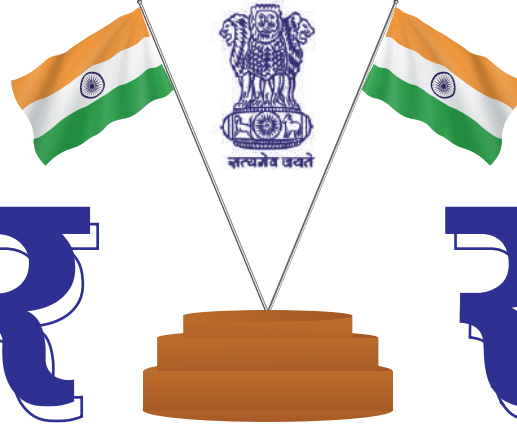


राजस्थान
रोजगारसंदेश
पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 48 अंक 13

(Website: <http://employment.rajasthan.gov.in>)

15 अगस्त, 2025

मूल्य: 3.00

वार्षिक शुल्क 60 रु

राजस्थान रोजगार संदेश की ओर से पाठकों, विज्ञापनदाताओं व वितरकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

जैवप्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) में करियर के अवसर

-विजय प्रकाश श्रीवास्तव

आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के तमाम उदाहरण देखते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम कई रूपों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और इसके अभ्यस्त होते जा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी के कई रूप ऐसे हैं जिन्हें बाहर से देख या समझ पाना मुश्किल होता है पर हम इनको अपनाने में संकोच नहीं करते। इनके बिना कई बार हमारा काम भी नहीं चलता। जैवप्रौद्योगिकी इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। जैव तथा प्रौद्योगिकी शब्दों से मिल कर बना यह पद अपना अर्थ स्वतः प्रकट कर देता है। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो इसमें प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। जैवप्रौद्योगिकी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी दोनों का विषय है। करीब दो दशक पहले तक इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक उभरता हुआ क्षेत्र माना जाता था। आज जैवप्रौद्योगिकी अपना मजबूत आधार बना चुकी है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

जीव या जन्तु विज्ञान में प्राणियों, पेड़ पौधों की रचना, जीवन क्रिया का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के पीछे उद्देश्य इन्हें स्वस्थ व रोग मुक्त रखने, इनकी जीवनावधि बढ़ाने आदि का होता है। इस अध्ययन का उपयोग कर जैवप्रौद्योगिकी नवीन उत्पादों, औषधियों, चिकित्साओं की ईजाद का मार्ग प्रशस्त करती है। जैवप्रौद्योगिकी का उपयोग क्लोनिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थ बनाने तथा फसलों की उन्नत किस्में विकसित करने में होता है। फसलों, अनाजों के बीज को परिष्कृत कर पैदावार कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। संकर फसलें उत्पादित करने, फसलों की नई प्रजातियाँ विकसित करने में जैवप्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती है। वनस्पतियों, पेड़ पौधों, रसायनों आदि के औषधीय तत्वों की पहचान, इनका पृथक्कीकरण, नई औषधियाँ बनाना तथा पहले से मौजूद औषधियों को अधिक असरदार बनाना जैवप्रौद्योगिकी की मदद से संभव हो सका है। आज हरित क्रांति का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, उसमें जैवप्रौद्योगिकी की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति का कुछ श्रेय जैवप्रौद्योगिकी को दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त वर्णन से आप जैवप्रौद्योगिकी विषय के अध्ययन का महत्व समझ सकते हैं।

माध्यमिक स्तर पर विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले कुछ पाठ जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित हो सकते हैं लेकिन एक पूर्णरूपेण अथवा स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी पढ़ाई स्नातक और इससे ऊँचे स्तर पर होती है। यहाँ आपके पास चयन हेतु दो विकल्प होते हैं - बी एससी (बायोटेक्नोलॉजी) या बी टेक (बायोटेक्नोलॉजी)। यह भी संभव है कि बी एससी के किसी अन्य पाठ्यक्रम में बायोटेक्नोलॉजी एक विषय के रूप में ले लिया जाए। बी एससी का सामान्य पाठ्यक्रम या बी एससी (बायोटेक्नोलॉजी) देश भर के अधिकांश विश्वविद्यालयों तथा इनसे संबद्ध महाविद्यालयों में उपलब्ध है। प्रवेश अधिकांशतः कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के जरिए होता है। कुछ संस्थान अपनी अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं तो कुछ में प्रवेश के लिए 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जाता है।

बी टेक (बायोटेक्नोलॉजी) में प्रवेश के लिए सर्वाधिक प्रचलित रास्ता जे ई ई मेन्स का है। इसमें अच्छी मेरिट लेकर आप आई आई टी, एन आई टी तथा जे ई ई मेन्स का स्कोर स्वीकार करने वाले

अन्य संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। निजी संस्थानों में में प्रवेश हेतु प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। एम एससी (बायोटेक्नोलॉजी) का पाठ्यक्रम बहुतायत से उपलब्ध है। इसमें प्रवेश हेतु सबसे महत्वपूर्ण दो परीक्षाएँ सी यू ई टी- पोस्टग्रेजुएट (पीजी) तथा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट - बायोटेक्नोलॉजी (जी ए टी-बी) है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि एम एससी (बायोटेक्नोलॉजी) में प्रवेश के लिए इसी विषय में बी एससी होने की अनिवार्यता नहीं है। भौतिकी, रसायन शास्त्र, बॉटनी, जूलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कृषि, मत्स्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, फार्मसी के विद्यार्थी भी बायोटेक्नोलॉजी में एम एससी कर सकते हैं। आई आई टी तथा कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में एम टेक (बायोटेक्नोलॉजी) में प्रवेश हेतु आई आई टी - जे ए एम और कुछ मामलों में जी ए टी ई का स्कोर काम आता है। किसी भी संस्थान में प्रवेश हेतु प्रक्रिया को पहले से समझ लेना चाहिए।

हालांकि जैवप्रौद्योगिकी स्वयं एक विशेषज्ञता का क्षेत्र है, इसकी कई शाखाएँ हैं जिनमें से एक या अधिक का चुनाव उच्च विशेषज्ञता के लिए किया जा सकता है। प्रमुख शाखाओं में फूड बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, पशु बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरोनमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के नाम लिए जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को अपनी रुचि की शाखा में कार्य करने के लिए चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई पर्यावरण को समर्पित करियर तो कोई इन्वायरोनमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में संभावनाएँ तलाश कर सकता है।

जैवप्रौद्योगिकी के महत्व को भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जैवप्रौद्योगिकी में शोध तथा उच्चतर अध्ययन को आगे बढ़ाने हेतु सरकार ने विभिन्न संस्थान स्थापित किए हैं।

इनमें से कुछ निम्न हैं-

- इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली
- नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, पुणे,
- ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली
- सेंटर फॉर डी एन ए फिंगरप्रिंटिंग, एंड डाइगनोस्टिक्स हैदराबाद
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
- नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर

मोहाली स्थित नेशनल एग्रि-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तथा हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ उनके नाम में दर्शाए गए जैवप्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में पढ़ाई और शोध के कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जिसे संक्षेप में बिराक (BIRAC) कहा जाता है, की स्थापना बायोटेक उद्यमों को समर्थन एवं प्रोत्साहन देने के लिए की गई है। बायोटेक आधारित स्टार्ट अप एवं उद्यमों के इनक्यूबेशन, उन्हें निधियाँ उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादों के कमर्शियलाइजेशन हेतु बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के पास विभिन्न योजनाएँ हैं।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

5. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आगमन) नियम, 1988 तथा राजस्थान विद्यांगन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राधान्यानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णकों में छूट/सिवायत दी जायेगी।
6. Subjects included in both the papers are shown in the table below-

PAPER – I General Studies		Duration: 1 Hour and 30 minutes
SUBJECTS		
1.	History of Rajasthan and Indian history with special emphasis on Indian National Movement.	
2.	Mental Ability Test, Statistics (Secondary level), Mathematics (Secondary level), Language ability test: - Hindi, English.	
3.	Current Affairs	
4.	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan.	

PAPER – II Sports Concerned		Duration: 3 Hour
SUBJECTS		
1.	Knowledge of Physical Education & Sports.	
2.	Sports Sciences.	
3.	General Theory and Method of Training.	
4.	Specific Knowledge of Games/ Sports and its current affairs.	

Note – (I) Awardable marks on the basis of certificate of the participation & the position gained in sports competition shall be as under:-

- | | |
|--|----------|
| 1. Participation at international level or winner at national level. | 40 marks |
| 2. II position at national level. | 36 marks |
| 3. III position at national level. | 32 marks |
| 4. Participation at national level or winner at state level. | 28 marks |
| 5. II position at state level. | 24 marks |
| 6. III position at state level. | 20 marks |
| 7. Participation at state level or winner at district level. | 16 marks |
| 8. II position at district level. | 12 marks |
| 9. III position at district level. | 08 marks |
| 10. Participation at district level. | 04 marks |

Note —(II) Level shall be as under :-

1. District Level - Following tournaments will be considered of district level-
 - a. District level school tournament of Elementary Education Department.
 - b. District level school tournament of Secondary Education Department.
 - c. State level school tournament of Sanskrit Education Department.
 - d. Cluster level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
 - e. Inter college tournament of Universities.
 2. State Level - Following tournament will be considered of state level-
 - a. State level school tournament of Elementary Education Department
 - b. State level school tournament of Secondary Education Department.
 - c. National level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
 - d. Inter University tournament at zone level.
 3. National level- Following tournaments will be considered of national level-
 - a. School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.
 - b. Inter University tournament at National or inter zone level.
 4. International level. Participation in international tournaments through any one of these organizations:- School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.
- Note –(III) Verification of Sports Certificates –**
- a. Sports certificates will be considered if they are verified by Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the Institution.
 - b. Sports Certificate of participation or acquired position in International tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.

Scheme and syllabus of competitive examination for the posts Lecturer of Physical Education:-

- (1) The examination shall carry 460 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments. (as per "Note" mentioned below Paper II).
- (2) There will be two papers. Paper I shall be of 200 marks and paper II shall be of 260 marks.

Paper-I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
 2. Duration of question paper will be 2:00 hours.
 3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
 4. Paper shall include following subjects:
 - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - (ii) Current Affairs of Rajasthan
 - (iii) General knowledge of world and India.
 - (iv) Educational Psychology
 5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
6. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- राजस्थान सिविल सेवा (मार्गदर्शक सैनिक का आगमन) नियम, १९८८ एवम् राजस्थान सिविल गजट अधिकार नियम, २०१८ में विहित प्रावधानानुसार मार्गदर्शक सैनिकों एवं विशेष योग्यताओं को प्राप्तता प्राप्त उम्मीदवारों में भर्त / नियुक्त दी जायेगी।

Paper-II

1. The question paper will carry maximum 260 marks.
2. Duration of question paper will be 2 hours.
3. The question paper will carry 130 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. The minimum qualifying marks for the paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Schedule Casts and Schedule Tribes.
उत्तमसहित सैनिकों का नियम, 2018 तथा राजस्थान विद्यामंजरी अधिकांश नियम, 2018 में विहित प्राकानूननुरूप भूपर्यवेक्षण सैनिकों एवं विशेष योग्यता वाले उम्मीदवारों को 5% छूट / रियायत दी जायेगी।
6. Paper shall include following subjects -
 - (i) General Knowledge of Physical Education of Secondary and Senior Secondary standard
 - (ii) General knowledge of sports and Physical Education and current affairs.
 - (iii) Theories, definitions and History of Physical Education.
 - (iv) Education and Games Psychology.
 - (v) Methods, Supervision and Organizations of Physical Education.
 - (vi) Theories of Training and Decisions.
 - (vii) Science of basic Physical Anatomy, Function and Health Education.
 - (viii) Entertainment, camp and Yoga.

Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition

For the post of Lecturer of Physical Education maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments.(as per "Note" mentioned below).

- | | |
|--|----------|
| 1. Participation at international level or winner at national level. | 40 marks |
| 2. II position at national level. | 36 marks |
| 3. III position at national level. | 32 marks |
| 4. Participation at national level or winner at state level. | 28 marks |
| 5. II position at state level. | 24 marks |
| 6. III position at state level. | 20 marks |
| 7. Participation at state level or winner at district level. | 16 marks |
| 8. II position at district level. | 12 marks |
| 9. III position at district level. | 08 marks |
| 10. Participation at district level. | 04 marks |

Note —(II) Level shall be as under :-

1. **District Level** - Following tournaments will be considered of district level:-
 - a. District level school tournament of Elementary Education Department.
 - b. District level school tournament of Secondary Education Department.
 - c. State level school tournament of Sanskrit Education Department.
 - d. Cluster level school tournament of Navodaya Vidyalaya Samiti and Central School Organization.
 - e. Inter college tournament of Universities.
2. **State Level** - Following tournament will be considered of state level:-
 - a. State level school tournament of Elementary Education Department
 - b. State level school tournament of Secondary Education Department.
 - c. National level school tournament of Navodaya Vidyalaya Samiti and Central School Organization.
 - d. Inter University tournament at zone level.
3. **National level**- Following tournaments will be considered of national level:-
 - a. School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.
 - b. Inter University tournament at National or inter zone level.
4. **International level**-Participation in international tournaments through any one of these organizations:-
School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.

Note –(III) Verification of Sports Certificates –

a. Sports certificates will be considered if they are verified by Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the Institution.

b. Sports Certificate of participation or acquired position in International tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.

उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using

2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.

5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अव्यवधि Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर बर ई-मेल आई.डी अंकित करें जिस पर वह प्रतीक्षा / साप्ताहिक इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail से आपको भेजा जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के अंतिम कोटाईकाल तक यह ई-मेल आई.डी बदलने / हटाने से कोई लाभ नहीं होगा। सभी को

[illegible][illegible]

ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अस्थायी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

- [illegible]

अश्वक-पर्व का सत्यपथ :-
 प्रायःक कौं वर्ग विषय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ उच्चस्थ. खिलाडी/ भूतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र/ विधवा/ विध्वनित मिश्र/ तलाकशुदा/ पारिवरकता/ विकलांगता/ राज्य कर्मचारी/ गैर राजपति कर्मचारी/ मंजालविक कर्मचारी/ विभागीय कर्मचारी/ अन्य) का लान तव ही देव होना उरविक परीक्षा/ मुख्य परीक्षा/ सुविधा परीक्षा में उरवणी घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उरवकी पात्रता की जीव में दस्तावेज सही पाये गए ह। अतः पात्रता की जीव होव निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य कर विधा जाव :-

१. नायिका (२३) विभाग के परिपत्र दिनांक २०.०१.२०१२ एवं दिनांक १७.१०.२०१२ के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग+ के अभ्यर्थियों को आखण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इन्हें आखण का शायद-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यह आवेदन की अंतिम तिथि के संबंधित वर्ष की पात्रता रखता था तथैव यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी निरुक्ति निरस्त की जा सकती है।

* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ किसी भी नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देते नहीं होगा।

- [illegible]

*नोट:- निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हये ही मान्य होंगे।

- [illegible]

9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

- [illegible]

अभेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण अभेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-
अन्यथा ऑनलाइन अभेदन-पत्र भरने से पूर्व एकमात्रिय संजीवन शुल्क, अभेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व राशना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोजित

[illegible][illegible][illegible]

(रामनिवास मेहता)
सचिव

(रामनिवास मेहता)
सचिव

- प्रारंभिक आसक्ति विभाग के सदस्यों को प्रेरित कर दिया जाता है ता कि वे उच्च विषयों, निम्न विषयों, असाधारण, असाधारण विषयों को प्राप्त कर सकें।

- (रामानुजास मेहता)
सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: विज्ञापन सं. 04/ EXAM /V.O. /RPSC/EP-I/2025-26

आयोग द्वारा पश्चातवर्त विभाग के लिए राजस्थान प्रशासन सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) के 1100 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

Name of Post	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.				
	No. of Post (s)																								
	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	
Veterinary Officer	1100	250	73	29	8	139	40	16	3	129	37	14	3	145	43	17	4	34	11	4	1	70	20	8	2
Horizontal Reservation :-																									
1. Ex. Ser. – (Gen./UR-34 (Backlog-16), SC-13 (Backlog-6), ST-10 (Backlog-4), OBC-18 (Backlog-8), MBC-4 (Backlog-2), EWS-9 (Backlog-4))																									
नोट:- 1. क्षैतिज आरक्षण को अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक हेतु दशांश गये बैकलॉग के पद पूर्व भर्ती-2019 के बैकलॉग के है।																									
2. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु रिक्त दशांश गये पदों में से 39 पद अनुसूचित जाति के व 63 पद अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के है जिन्हे प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।																									
3. P.H. श्रेणी को आरक्षित पदों के संबंध में विभाग से वार्गीकरण प्राप्त होने पर पृथक से जारी किया जायेगा।																									
Abbreviations Used: GEN – General, U.R.– Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST– Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/L-V- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, I.D. – Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. – Specific Learning Disability, Mul.Dis – Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped.																									

नोट :-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सौधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सौधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अग्रणीत उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पर्याप्ततः तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद अध्यापित सेक्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और सेक्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिसके लिए ऐसी शक्ति पर्याप्ततः तीन वर्षों में उपलब्ध हो।

2. राजस्थान राज्य के आर्थिक पदों से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अग्रणीत उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भर जायेगा।

3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विधिवत विवाह/परिवर्त्ता/तलाकभूता महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अग्रणीत के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्त्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विधिवत विवाह/परिवर्त्ता/तलाकभूता महिलाओं से या इसके विपरित (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भर जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विधिवत विवाह/परिवर्त्ता/तलाकभूता अग्रणीतों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अग्रणीतों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अग्रणीतों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अग्रणीतों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तित पर्याप्ततः तीन वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विधिवत विवाह/परिवर्त्ता/तलाकभूता महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में धनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

4. विधवा योग्यता/निश्चालन के लिए दशरं पर पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अग्रणीत जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।

5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1968 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सौधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Category-wise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समाप्त संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।

6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई शिथिल उपयुक्त निश्चालन की उपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगेलन भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगेलन भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निश्चालन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निश्चालन की निष्पत्ति शिन्निन श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ग में भी कोई निश्चालन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजन उस शिथिल को निश्चालन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाम राजस्थान राज्य के भूत निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाम देय नहीं होने के कारण उक्त सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सचिव न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित नियम दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित नियम दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपचरन राजस्थान राज्य की भूत निवासी भर जाती है तो उसे public employment में परतरी/एतरी/ओपरी/एमसीसी में शामिल कर लाम नहीं दिया जायेगा। इसलिए उक्त सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उल्लेख खिलाडी की पात्रता रखने वाले अग्रणीतों को आरक्षण का लाम देय होगा।

टिप्पणी:- बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्राधान्य संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होगी।

शैक्षणिक योग्यता :-

- (1) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry or its equivalent from a University established by law in India.
- (2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.
- नोट :- 1. अग्रणीत को राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर से अग्रणीत/स्वायं प्रजीवन आवेदन की अग्रणीत स्थिति तक होना आवश्यक है।
2. अग्रणीत को अग्रणीत इन्टरमिडियेट लिखित परीक्षा की स्थिति से पूर्व तक पूर्ण होना आवश्यक है।
- शैक्षणिक अर्हता
- उक्त पदों की अर्हता आयोग अर्हता के अग्रणीत वर्ग की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के संबंधी प्राधान्य
- लिख पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्हता करने का साक्ष्य देना होगा।
- Note: 1. अग्रणीत को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिए तथापि ऐसे अग्रणीतों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अग्रणीत संशोधन स्थिति तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2. अग्रणीत एवं गलत सूचना के अग्रणीत पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की भाग 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अग्रणीत को कालन्तर्गत में कालन्तर्गत/पात्रता जाति/पञ्चासक के दौरान अपात्र बच जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगेलन तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विचारित (Debar) किया जायेगा।

पे-मैट्रिक्स

लेबर

आयु सीमा

नोट :- 01वां संवत्सर के नियमानुसार परीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

नोट :- उक्त पद आयु सीमा पूर्व में वर्ष 2019 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार दिनांक 01.01.2020 को रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अग्रणीत दिनांक 01.01.2026 को अधिकतम के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्राधान्यानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

विज्ञापित पदों के अनुसूच दशाई गई वर्गवार की रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशेष श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्राधान्य		
क्र.सं.	अग्रणीतों का वर्ग एवं अन्य विशेष श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अग्रणीत	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अग्रणीत Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (EWS) of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विधिवत विवाह (परिवर्त्तन) महिला Widow and divorced Women Explanation: - That in the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorce, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	अपराधीय मामलों में राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर उपरिखणित कपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे सकती है।	
6.	जिनके लिए upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of reservists namely the defence service personnel who were transferred to the Reserve.	
7.	ऐसे भूतपूर्व कीर्ती के मामले में, उपरिखणित कपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भूत करारवात को अग्रणीत के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकतम का नहीं था।	
8.	That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of Ex-prisoner who was not overage before his conviction.	
9.	इस सेवा के किसी पद पर अग्रणीत नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समाप्ता जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष अपेक्षित उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अग्रणीत देय जायेगी।	
10.	That the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed. Although they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto 2 chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	
11.	कैडेट अपरेटोशनों के मामले में उपरिखणित कपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अग्रणीत को विहित आयु सीमा में समाप्ता जायेगा।	
12.	That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
13.	राजस्थान राज्य के कार्यवाहकों के संबंध में substantive शैक्षणिक से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में कपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।	
14.	Notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in Substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled up by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.	
15.	निम्नलिखित आयु सीमा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1968 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को कपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत शिथिल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1968 के अनुसार कपरी आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए।	
16.	According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these Rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable.	
17.	संघीकरण:- कार्मिक (क-2) विभाग के परिचर दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1968 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवा/अग्रणीतों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो हितकर प्राधान्य है, उतकाल लाम भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	
18.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निश्चालन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लिखित कपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।	
19.	According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.	

नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशेष श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्राधान्यों जिन्हें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नोट :-

1. उपर्युक्त वर्गित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्राधान्य अग्रणीत (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अग्रणीतों को उपर्युक्त वर्गित किसी भी एक प्राधान्य का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाम दिया जायेगा। एक से अधिक प्राधान्यों को जोड़ कर छूट का लाम नहीं दिया जायेगा।

2. उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार कपरी आयु सीमा में छूट देय आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए।

3. कार्मिक (क-2) विभाग के परिचर दिनांक 28.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.8.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अग्रणीत द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदों देय किसी अन्य नियम (जैसे- आयुसीमा, अंक, शिथिलता/निश्चालन आदि) का लाम दिया जाता है तो उसे सामान्य (अग्रणीत) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

4. राजस्थान सेवा नियम को अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अग्रणीत की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. अन्य विशेष श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राधान्य हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक धाव की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्राधान्य ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

ध्यान प्रक्रिया	अग्रणीतों का भयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपत्रिका के भूतपूर्वकों में कोशिल/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामायीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयु द्वारा उपयुक्त बच गये पर अग्रणीतों को नाम नियुक्ति प्राधिकारी/शासन को अनुमति दिए जायेगी जो मैरिट के क्रम में व्यवस्थित होगी।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुस्थिति में (Offline/Online) की जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुस्थिति प्रकार (Multiple choice type question) के होंगे।
परीक्षा का स्थान व माह	विस्तृत पाठ्यक्रम की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।
दिनांक	05.08.2025 से दिनांक 03.09.2025 रात्रि 12:00 बजे तक।

विस्तृत विज्ञापन

दिनांक : 17.07.2025

- आवेदन प्रक्रिया
1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अग्रणीत आयोग की वेबसाइट <https://rpsc-rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिशे-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेते। तदुपरांत ही अग्रणीत ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अग्रणीतों के लिए दिशे-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्राधान्य ही लागू होंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अग्रणीतों को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc-rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अपना एप्लिकेशन (SSO) फॉर्म <https://sso.raajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अग्रणीतों के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, शिग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्पुट एवं ऑनलाइन आवेदन करने अनिवार्य होंगे।
3. जिन अग्रणीतों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अग्रणीत एप्लिकेशन फॉर्म <https://sso.raajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।
4. अग्रणीतों द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, शिग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार/SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों से सावधानीपूर्वक निदान सुनिश्चित कर लेनी। यदि सूचना कोई अंतर है तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) चयन के पश्चात् ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।
- Note: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अग्रणीत अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व शिग को जाँच/परीक्ष ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो टीन व या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में वृत्तिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर ले। यदि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज की हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का निदान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।
5. अग्रणीत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अग्रणीत ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।
6. अग्रणीतों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाँय हाथ की अंगुठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अपेक्षापूरक की उपस्थिति में अग्रणीतों के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगुठा निशानी भी लगाई जायेगी।
7. अग्रणीत ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की विनाशित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्रक पर भरना करने हेतु साथ लेकर आए।
8. अग्रणीतों को शुल्लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में शुल्लेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। अतः विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर शुल्लेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
9. अग्रणीतों द्वारा की अंतिम तिथि तक अंतिम की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टता एवं आवश्यक तीर पर अंकित करें।
10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर संपर्क करें।
12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अग्रणीतों पर विचार सहित नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
14. अग्रणीत ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेते।
15. अग्रणीत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती हैं। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
16. आयोग द्वारा अग्रणीतों से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरना हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-

ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की वृत्ति का पता लगता है तो अग्रणीत ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दशरं गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व शिग के अतिरिक्त अन्य वृत्ति संशोधन निम्नानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अपडेट करना आवश्यक है:-

1. यदि कोई अग्रणीत अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc-rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशे-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी वृत्ति का सम्पूर्ण दायित्व अग्रणीत का ही होगा।
2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अग्रणीतों के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं नाम के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
- Note: विधिवत विवाह/तलाकभूता/परिवर्त्ता महिला ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विधिवत विवाह (DV) डिक्ली जारी होने की स्थिति में ही वर्ष परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं।
3. One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अग्रणीतों के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व शिग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अग्रणीतों को एप्लिकेशन के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जायेगी।
5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का वृत्ति सुधार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अग्रणीतों से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन किये गये अग्रणीतों को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
- एकवारिय पंजीयन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिचर दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकवारिय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-
1. सामान्य (अग्रणीत)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अग्रणीत - रुपये 600/-
2. अरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/शहरिया आदिम जाति) के अग्रणीत - रुपये 400/-
3. दिव्यांगजन - रुपये 400/-
- नोट :-
1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अग्रणीतों को सामान्य वर्ग का अग्रणीत माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अग्रणीतों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. जिन अग्रणीतों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अग्रणीत भी एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं।
3. एकवारिय पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात् अग्रणीतों में उपस्थिति नहीं होने वाले अग्रणीतों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा परिचर दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है:-
- (i) कोई अग्रणीत आयोग/कोर्ट व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अग्रणीतों के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।
- (ii) अग्रणीत द्वारा शुल्क 750/- रुपये का भुगतान करने के पश्चात् ही एकवारिय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः बालू (Unblock) किया जायेगा।
- (iii) पुनः O.T.R. पुनः बालू (Unblock) होने पर यदि अग्रणीत उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।
- (iv) पुनः प्रतिबंधित O.T.R. को अग्रणीतों के द्वारा संचि रुपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओटीआर सुविधा पुनः बालू की जायेगी।
- टिप्पणी:-यदि कोई आवेदक किसी कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहारित किये जाने पर इस परीक्षा में ओटीआर प्रतिबंधित करने के संवर्ग में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

- विशेष योग्यता/दिव्यांगजन अग्रणीतों को शुल्लेखक/क्षैतिजक समय उपलब्ध करावे जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-
1. अग्रणीतों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यता श्रेणी भर जाने तथा शुल्लेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अनिवार्य यह नहीं है कि वह शुल्लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। शुल्लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अतः अग्रणीतों को शुल्लेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अग्रणीतों को शुल्लेखक का चयन-पत्र, शुल्लेखक के फोटो पहायन पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केवलशिक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अग्रणीतों को आयोग/केवलशिक्षक से शुल्लेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अग्रणीतों को परीक्षा दिनांक के कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अग्रणीतों को शुल्लेखक का चयन-पत्र, शुल्लेखक के फोटो पहायन पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केवलशिक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यता (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निश्चालन) की दृष्टिकोण (Blindness), केवलशिक्षक डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निश्चालन-Both Arms) एवं सेबेन पावली श्रेणी वाले अग्रणीतों द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अग्रणीतों को शुल्लेखक का चयन-पत्र के आधार पर शुल्लेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेबन कार्ड में अग्रणीतों के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं शुल्लेखक का चयन-पत्र प्रस्तुत करने पर शुल्लेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षैतिजक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यता (40 प्रतिशत से कम निश्चालन) की श्रेणी के मामले में लेबन कार्ड में अग्रणीतों के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर शुल्लेखक की सुविधा और/या क्षैतिजक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अग्रणीतों को शुल्लेखक की सुविधा और/या क्षैतिजक समय प्राप्त करने के लिए परीक्षा दिनांक के कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से समर्पक करना होगा अतः अग्रणीतों की सुविधा और/या क्षैतिजक समय देय नहीं होगा।
6. शुल्लेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध शुल्लेखक संबंधी दिशे निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

[illegible]

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक (प्रकाशन) द्वारा मितश्वोर टेक्नोलॉजीज एलएलपी, बी. 121 मंगल मार्ग बापूनगर, जयपुर 302015 (राज.) (प्रिंटिंग प्रेस, बी.-26 विजय मुकुन्दपुरा नायला रोड, कानोता, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक— डॉ. संजीव सोलंकी